न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्या:–870/2020 (जीसीएमएस नं. 2020/00699)

01. बोदूराम पुत्र श्री छीतरमल,
02. रामेश्वर प्रसाद पुत्र देबूराम, समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम दलेर, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

01. राजस्थान राज्य सरकार ज़रिये तहसीलदार जमवारामगढ़ तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
02. रामचन्द्र पुत्र श्री लादू,
03. गिरधारी पुत्र श्री सूजाराम,
04. नन्छू पुत्र श्री सूजाराम,
05. ग्यारसीलाल पुत्र श्री सूजाराम, समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम दलेर, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स

06. साधूराम पुत्र श्री जगदीश प्रसाद,
07. विकास पुत्र श्री जगदीश प्रसाद,
08. श्रीमती संज्या देवी धर्मपत्नी श्री जगदीश प्रसाद,
09. श्रीमती कविता पुत्री जगदीश प्रसाद,
10. सुमन पुत्री श्री जगदीश प्रसाद,
11. सुमित्रा पुत्री श्री जगदीश प्रसाद,
12. कमलेश पुत्र देबूराम, समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम दलेर, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

—प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थिति:–

1. **श्री हिमान्शु सोगानी एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**
3. **श्री दिनेश कुमावत एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 की ओर से**

निर्णय

दिनांक: 28.03.2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.08.2020 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि दिनांक 12.05.2017 को अपीलार्थीगण की ओर से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 136 के अन्तर्गत एक आवेदन अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह अंकित करते हुये प्रस्तुत किया गया कि ग्राम दलेर तहसील जमवारामगढ स्थित भूमि खसरा नम्बर 280 रकबा 166 हैक्टयर 280/306 रकबा 0.24 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.90 हैक्टयर अपीलार्थी संख्या

P.T.O.

1 बोदूराम व जगदीश पुत्रान छीतरमल गुर्जर की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है और भूमि खसरा नम्बर 279 रकबा 1.75 हैक्टयर व खसरा नम्बर 279/305 रकबा 0.14 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.89 हैक्टयर रामेश्वर व कमलेश पुत्रान देबूराम की खातेदारी की है और राजस्व भू अभिलेखों में इसी प्रकार इन्द्राजात दर्ज है तथा अपीलार्थीगण ने यह अंकित करते हुये कि उपरोक्त वर्णित भूमि से लगती हुई अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 283 स्थित है उपरोक्त वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर 279 व 279/305 साबिका खसरा नम्बर 253/2/3 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा से बने है और हाल खसरा नम्बर 280 व 280/306 साबिका खसरा नम्बर 253/1/2 रकबा 7 बीघा से बने है और अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की खातेदारी में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 283 साबिका 253/1 से बने है, प्रार्थीगण ने यह अंकित करते हुये कि प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की उक्त भूमि के साबिका खसरा नम्बरान 253/1/3 व 253/1/2 की सीमाओं में ही पूर्ववत काबिज है, हाल बन्दोबस्त में नवीन खसरा नम्बर 283 को राजस्व नक्शे में रकबा बरारी में प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 280 का रकबा कम अंकित कर दिया और इस प्रकार नवीन नक्शे में उक्त खसरा नम्बरान का रकबा कम करके दर्शाया गया है और खसरा नम्बर 283 का रकबा अवैध रूप से बढ़ाकर दर्शाया गया है जिसकी दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है, प्रार्थीगण ने कई बार अप्रार्थीगण से राजस्व नक्शे में हो रही त्रुटि को दुरूस्त कराने के लिये कहा तो वे टालम–टोल करते रहे और उसके पश्चात् इन्कार हो गये। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण ने आवेदन प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा कि उपरोक्त वर्णित भूमि साबिका खसरा नम्बरान के अनुसार अंकित करते हुये हाल नक्शे को गत नक्शे के अनुसार दुरूस्त करके नक्शा कायम किया जावें और खसरा नम्बर 279/305 व 280/306 की किस्म गैर मुमकिन सड़क के स्थान पर चाही तृतीय राजस्व रिकार्ड में अंकित की जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.08.2020 तथ्यों एवं कानून के विपरित होने की वजह से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना कतई परवर्स निर्णय पारित किया जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। उन्होने यह भी कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ के समक्ष अपीलार्थीगण ने ही दिनांक 12.05.2017 को मूल आवेदन प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी की भूमि साबिका खसरा नम्बर 253/1/2 से बने हाल खसरा नम्बर 280 व खसरा नम्बर 280/306 व 253/1/3 से बने खसरा नम्बर 279 तथा 279/305 की नक्शे में दुरूस्ती करने का अनुरोध किया। प्रार्थीगण का आवेदन उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ द्वारा दिनांक 28.05.2018 को स्वीकार किया गया जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को संभागीय आयुक्त, ने दिनांक 22.10.2018 को निरस्त फरमा दिया

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

परन्तु उसके पश्चात् भी उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ ने तथाकथित रकबा बरारी के नाम पर प्रार्थीगण के ही विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित फरमा दिया जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया किया है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ के पूर्व निर्णय दिनांक 28.05.218 की अनुपालना में नियमानुसार दुरूस्ती की कार्यवाही किया जाना आवश्यक था किन्तु उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के आवेदन पर बाला–बाला तहसीलदार जमवारामगढ़ को रकबा बरारी करने का आदेश पारित किया जिसने स्वयं मौके पर जाकर कोई कार्यवाही नही की बल्कि पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को तहसीलदार जमवारामगढ़ ने यथावत उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित कर दिया और अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट के औचित्य पर विचार किये बिना तथा प्रार्थीगण की आपत्ति को पूर्णतः नजरअन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित फरमा दिया जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि हाल खसरा नम्बर 279/305 व 280/306 कृषि भूमि है जिसे बन्दोबस्त विभाग के अधिकारियों ने अवैध रूप से गैर मुमकिन सड़क अंकित कर दिया जिसे दुरूस्त करके उक्त भूमि को पूर्ववत कृषि भूमि के रूप में अंकित किया जाना आवश्यक होने के पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। उन्होंने आगे कथन किया है कि रकबा बरारी करने हेतु निश्चित् बिन्दुओं से दोनों पक्षों की मौजूदगी में स्पष्ट नपती किया जाना आवश्यक होता है किन्तु पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा अपीलार्थीगण को नोटिस एवं सुनवाई का मौका दिये बिना बाला–बाला एक मनचाही रिपोर्ट तैयार की गई जिस रिपोर्ट में यह भी अंकित ही नही है कि कौनसे से निश्चित् बिन्दु (मुश्तकिल मुकाम) से किस के समक्ष नपती की गई और उक्त अवैध रिपोर्ट को ही तहसीलदार ने स्वयं का विवेक लगाये बिना दिनांक 27.07.2020 को उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ को प्रेषित कर दिया और उक्त आधारहीन एकतरफा रिपोर्ट के सम्बन्ध में बिना न्यायिक विवेक लगाकर एवं बिना विचार किये ही अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम सत्य होना मानते हुय अपीलाधीन आदेश पारित फरमा दिया जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.08.2020 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर ने

P.T.O.

उभयपक्ष की बहस सुनकर पूर्व में दिनांक 25.05.2018 को इस आशय का निर्णय पारित फरमाया गया था कि तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक साबिक व हाल रिकार्ड नक्शे की बराबरी करते हुए पक्षकारान की भूमि मुताबिक जमाबन्दी पूर्ण करने के पश्चात् नक्शा दुरूस्ती की जावें। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2018 के विरूद्ध मौजूदा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 द्वारा एक अपील संख्या 277/2018 उनवानी रामचन्द्र व अन्य बनाम बोदूराम व अन्य न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस अपील को न्यायालय श्रीमान् द्वारा निर्णत करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.05.2018 को यथावत रखा गया जो अंन्तिम निर्णय हो गया जिसकी अपील किसी भी पक्षकारान द्वारा नही की गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28.05.2018 के अनुसार तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट बनाकर मौके पर नाप-जोख कर उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा मौके पर सवाई चक भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया उसके पश्चात् भी अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बरान 284 में बोरिंग करवाकर अवैध रूप से अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 280 व 280/306 में बताकर अवैध अतिक्रमण किया गया है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय श्रीमान् के आदेश दिनांक 22.10.2018 के पश्चात् ही उक्त अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.05.2018 की पालना करवाने हेतु तहसीलदार को पत्र प्रेषित किया गया है क्योंकि उक्त आदेश की पालना करवाने हेतु पक्षकार गिरधारीलाल द्वारा एक इजराय प्रार्थना पत्र 4/2019 प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 14.10.2019 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 28.05.2018 की पालना करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया जिस पर दिनांक 27.07.2018 को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना करने हेतु मौके पर जाकर रिपोर्ट बनाई गई उक्त मौका रिपोर्ट तहसीलदर के आदेशानुसार एक कमेटी गठित की गई है जिसमें पटवारी, गिरदावर, स्वयं, तहसीलदार व अन्य पटवारीगण शामिल थे जिनके द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट मौके पर जाकर जमीन की नाप-जोख कर उक्त रिपोर्ट दिनांक 27.07.2020 की बनाकर तथा संलग्न नजरी नक्शा पेश की गइ थी जिसमें अवलोकन एवं परीक्षण कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.08.2020 को रिपोर्ट दिनांक 27.07.2020 की पालना करने हेतु तहसीलदार को रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने हेतु आदेशित किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेशानुसार तहसीलदार जमवारामगढ़ द्वारा कमेटी कठित कर चार बार उक्त विवादित भूमि की नाप-जोख कर राजस्व रिकार्ड व नक्शें में तरमीम की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.05.2020 पर प्रस्तुत इजराय में उज्रात व आपत्तियों का निस्तारण करते हुए राजस्व कैम्प जयचन्दपुरा में उक्त विवादित कृषि भूमि का स्वयं मौका देखकर तहसीलदार को रकबा बराबरी के नाप से संतुष्ठ होकर उक्त

P.T.O.

इजराय में दिनांक 11.08.2020 को अपत्तियों का निस्तारण कर रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार को आदेशित किया गया व राजस्व रिकार्ड व नक्शे में तरमीम कर दिनांक 17.08.2020 को कार्यवाही रिपोर्ट प्राप्त कर उक्त इजराय का निस्तारण किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.08.2020 में किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगयत 11 के पूर्वज द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.05.2018 द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रकरण तहसीलदार जमवारामगढ़ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया है कि मुताबिक साबिक एवं रिकार्ड नक्शे की रकबा बरारी करते हुए पक्षकारान की भूमि मुताबिक जमाबन्दी पूर्ण करने के पश्चात् दुरूस्त किया जावें जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक गठवाडी के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम कठित कर वादग्रस्त आराजी का मौका देखकर रिपोर्ट चाही गई तथा गठित टीम द्वारा वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बरान की राजस्व रिकार्ड व नक्शें से रकबा बराबरी करने पर कम व अधिक पाये गये रकबे को बरारी करने की अनुशंषा पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.08.2020 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर